

आर.सी.एम.एस. नम्बर 2022 / 197

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मलसीसर जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी :- हवाई सिंह यादव
(आर.ए.एस.)

दावा बाबत धोषणा व रिकार्ड दुरुस्ती

अन्तिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई


मुकदमा नम्बर :- 95 / 2022 (रमेश कुमार बनाम अणची देवी वगैरह)

निर्णय दिनांक :- 24.01.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिक्री दी जाती है कि

मुकदमा में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 11.01.2023 द्वारा पारित निर्णयानुसार ग्राम अलसीसर पटवार हल्का अलसीसर स्थित हाल ख0न0 476 रकबा 0.49 है0 ख0न0 481 रकबा 4.22 है0 कुल कित्ता 2 कुल रकबा 4.71 है0 भूमि में वादी को उदाराम के वारिस की हैसियत से उसके 1/4 हिस्सा भूमि में 1/2 हिस्सा अर्थात् सम्पूर्ण भूमि में 1/8 व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को शेष 1/2 हिस्सा भूमि अर्थात् 1/8 हिस्सा भूमि में संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

बसक्ष्त मेरे दस्तखत व मुहर आदलत से आज तारीख 24.01.2023 को जारी की गई।


24/1/23
(हवाई सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर